परिशिष्ट — 0 [25/7/2022]

प्रश्न सं. [क्र. 419]

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 1/1/0026/2022-ESTB-FWAD

भोपाल, दिनांक 12/07/2022

प्रति,

श्री ए.के. राठौर
उप संचालक,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
जिला कटनी

विषयः- कारण बताओ सूचना पत्र

जिला स्थानांतरण बोर्ड कटनी के अनुमोदन अनुसार आपके आदेश क्रमांक/स्था./जिला स्तर/व.कृ.वि.अ./2021-22/22, दिनांक 07.08.2021 द्वारा श्रीमती सीमा चौधरी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का स्थानांतरण विकासखंड कटनी से वरिष्ट कृषि विकास अधिकारी विकासखंड विजयराघौगढ, जिला कटनी के अधीन किया गया था। किन्तु श्रीमती चौधरी द्वारा कार्यभार ग्रहण नही किया गया तत्पश्चात प्रभारी मंत्री जिला कटनी के पत्र क्रमांक 2833, दिनांक 25.09.2021 एवं श्रीमती सीमा चौधरी के आवेदन दिनांक 11.10.2021 के तारतम्य में प्रशासनिक प्रस्ताव पर कलेक्टर जिला कटनी व प्रभारी मंत्री जिला कटनी के अनुमोदन उपरांत आपने अपने आदेश क्रमांक/स्था./स्थानां/जिला स्तर/ग्रा.कृ.वि.अ./2021-22/2200, दिनांक 28.01.2022 द्वारा श्रीमती सीमा चौधरी के स्थानांतरण में संशोधन किया गया है।

2/ उपरोक्त संशोधन में अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार श्रीमती सीमा चौधरी द्वारा वांछित मुख्यालय चाका विकासखंड कटनी पर नही किया जाकर विकासखंड कटनी में पिपरौध मुख्यालय पर किया गया। किन्तु स्थानांतरण पर प्रतिबंध लग जाने के कारण आपको उक्त प्रकरण शासन द्वारा निर्धारित स्थानांतरण नीति वर्ष 2021 की कंडिका- 50 के प्रावधानानुसार प्रकरण संचालनालय को भेजा जाना चाहिये था और संचालनालय की अनुमति के पश्चात् ही आदेश जारी किया जाना था, किन्तु आपके द्वारा ऐसा नही किया गया। इस प्रकार आपने अपने आपको म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम- 3 के उप नियम (2) (दो) के तहत दोषी बना लिया है।

3/ अतः उक्त कृत्य हेतु क्यों न म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) के नियम-1966 के नियम 10 (4) के अंतर्गत आपकी एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जावे। इस संबंध में अपना बचाव उत्तर पत्र प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

12.7.2022

(बबीता वसुनिया)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

पृष्ठ.क्र. 1/1/0026/2022-ESTB-FWAD   भोपाल, दिनांक 12/07/2022

प्रतिलिपि:-

1. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, म.प्र. भोपाल
2. संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जबलपुर संभाग जबलपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग